

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-11/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० कुमारी प्रीति, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सहायक प्राध्यापक संविदा (BHS कोटि), नेत्र विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा के द्वारा दिनांक-01.12.2023 से 31.05.2024 तक कुल-183 (एक सौ तीरासी) दिन उपभोगित अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-117(25), दिनांक-12.01.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में आदेश संख्या-392(2) दिनांक-21.03.2024 के द्वारा शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था।

2. इस क्रम में डा० कुमारी प्रीति के अनुरोध एवं प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय के पत्रांक-6160, दिनांक-16.10.2024 द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में डा० कुमारी प्रीति को दिनांक-30.09.2024 तक शिशु देखभाल अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

3. उपभोगित कुल अवकाश को घटाने के पश्चात डा० कुमारी प्रीति का 425 (चार सौ पच्चीस) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-11/2024- 331 (2) पटना, दिनांक 03/03/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्राचार्य/अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, दरभंगा/डा० कुमारी प्रीति, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी-सह-सहायक प्राध्यापक संविदा (BHS कोटि), नेत्र विभाग दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय लहेरियासराय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव